

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/3189

दिनांक: 27/2/19

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	सुश्री निकिता चौधरी	कनिष्ठ लेखाकार	रामगढ शेखावाटी	एपीओ निदेशालय
2	श्री विकास मौर्य	कनिष्ठ लिपिक	बीकानेर	रामगढ शेखावाटी
3	श्री प्रेम प्रकाश अरोडा	कनिष्ठ सहायक	संगरियां	पीलीबंगा
4	श्री अली मौहम्मद/श्री हण्डल	कनिष्ठ लिपिक	नगर विकास न्यास भरतपुर	न. पा. कामां
5	श्री ताराचन्द माली	फायरमैन	जयपुर	सीकर
6	दीपा कुमारी	फायरमैन	भिवाडी	जयपुर
7	श्रीमती गीता	फायरमैन	लोसल	एपीओ निदेशालय
8	श्री विमला ढाका	फायरमैन	जयपुर	लोसल
9	श्री राकेश गढवाल	फायरमैन	फतेहपुर शेखावटी	लोसल
10	श्री दिलीप सिंह गुर्जर	फायरमैन	बूंदी	महुवा
11	श्री विजय कुमार शर्मा	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	नंदबई
12	श्री महेश कुमार/श्री रामदीन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	श्रीमाधोपुर	लोसल
13	श्री पवन कुमार	सफाई कर्मचारी	भिवाडी	उदयपुरवाटी
14	श्री शंकर लाल	सफाई कर्मचारी	भिवाडी	झुंझुनु
15	श्री रिकू कुमार हरिजन	सफाई कर्मचारी	भिवाडी	खेडली
16	श्री दीपेश राठौड	सफाई कर्मचारी	बडीसादडी	चितौडगढ
17	श्री अर्जुन/श्री कालीचरण	सफाई कर्मचारी	भिवाडी	हिण्डौनसिटी
19	श्रीमती लक्ष्मी देवी	सफाई कर्मचारी	भिवाडी	अलवर


विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग)( )का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/14843-14946 दिनांक 31.05.2018 के क्रम संख्या 11 पर अंकित श्री संतोष कुमार मीना, राजस्व निरिक्षक का नगर पालिका, लालसोट से नगर परिषद, बूंदी एवं विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग)( )का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/150-207 दिनांक 15.01.2019 के क्रम संख्या 12 पर अंकित श्री आकाश कुमार टांक, कनिष्ठ लिपिक का नगर पालिका पिलानी से श्रीझुंजरगढ किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है। यह अपनी उपस्थिति संबंधित नगरीय निकाय में देवें।

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।


04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

  
(पवन अरोडा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग)( )का/एसएमई/डीएलबी/19/3190-3259 दिनांक : 27-2-18

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
6. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
7. संबंधित कर्मचारी श्री .....।
8. सुरक्षित पत्रावली।

  
(डॉ वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)